अन्य पिछड़े वर्गों एवं उनमें उदीयमान नव–मध्य वर्ग की अवधारणा : उत्तर प्रदेश का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुशील कुमार सिंह ,
यू0जी0सी0 नेट.जे0आर0एफ0; रिसर्च स्कॉलर, समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
E-mail: sksinghlko2012@gmail.com

शोध सारांश

भारत में उदीयमान नव–मध्य वर्ग की अवधारणा अत्यधिक प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं उसके समुन्यन में इस वर्ग की भूमिका विशेषीकृत होती है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो मध्य वर्ग की अवधारणा पर अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने उल्लेखनीय विवरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु भारत जैसे राष्ट्र के लिए मध्य वर्ग की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करना कठिन है क्योंकि यहां आधी से अधिक आबादी मध्यम वर्गीयहै, जो कि राष्ट्र के अथतंत्र के लिए प्रमुख रूप से सहयोगी तथा तत्पर है। भारत में प्रमुख अन्य पिछड़ी जातियाँ जो विकास की मुख्य धारा में है अपना समुचित विकास करके एक नवीन मध्य वर्ग का निर्माण कर रही हैं। पिछड़ी जातियों की आबादी भारत में सर्वाधिक रही है तथा ये धीरे–धीरे आरक्षण का लाभ उठाकर इसी वर्ग की प्रमुख कुछ जातियाँ आज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त होकर मध्य वर्ग से अलग नव मध्य वर्ग का निर्माण कर रही हैं, यह उदीयमान नव मध्य वर्ग स्वयं को उच्च जातियों के समकक्ष स्वयं ला के खड़ा कर दिया है। ये नवीन दृष्टिकोण पिछड़ी जातियों की इन्हीं नव मध्य वर्ग की अवधारणा से उत्पन्न हुआ है, जो वर्तमान आर्थिक समाज के विकास के लिए प्रगतिशील है।

प्रस्तुत शोध में इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख जातियाँ किस प्रकार अपना विकास कर रही हैं तथा अपनी राजनीतिक भूमिका के भी कुशल नेतृत्व का प्रयास कर रहे हैं।

प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में है क्योंकि यहाँ पिछड़ी जातियों का विकास राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से बहुत अधिक हुआ है। यहाँ की पिछड़ी जातियाँ पिछले कई चुनावों में प्रबल राजनीतिक रूप से उभर कर सामने आ रही हैं तथा अपना पूर्ण समर्थन पाने में भी अपनी भूमिका का पूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में नव–मध्य वर्गीय जातियों का वर्तमान संदर्भ में अत्यधिक विकास हो रहा है तथा आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से वे जातियाँ सशक्त हुई हैं क्योंकि मण्डल कमीशन की संस्तुति के बाद इन जातियों को आरक्षण का लाभ मिला तथा जिसके फलस्वरूप इसका सीधा लाभ इन्हीं प्रमुख जातियों को मिला और ये प्रमुख जातियाँ विकास की दौड़ में आगे रहीं तथा इनका सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से अधिक उन्नयन हुआ। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों की यही प्रमुख जातियाँ ही नव–मध्य वर्ग के विकास का प्रमुख आधार रही हैं।

पिछड़ा वर्ग' शब्द समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सन्दर्भमें उपयोग में लिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 16 तथा कुछ अन्य प्रावधानों में ''पिछड़े वर्गों'' या अनुसचित जातियों और जनजातियों के साथ ''अन्य पिछड़े वर्गों'' शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्तु अन्य पिछड़ा वर्ग भारत में ऐसे एक विशेष वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से कमजोर है, तथा ये जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त

एक मध्यवर्गीय जातिगत समुदाय का निर्माण करती है। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों से नीचे तथा अस्पृश्य जातियों से उंचे हैं।[9]

पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1917–1918 में और उसके बाद सन् 1930–31 में किया गया। सन् 1934 में मद्रास में प्रान्तीय स्तर के ''पिछड़े वर्ग संघ'' की स्थापना की गयी, जिसमें 100 से भी अधिक जातियों को सम्मिलित किया गया जिनकी कुल जनसंख्या मद्रास में लगभग 50 प्रतिशत थी। सन् 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने दन सभी समुदायों के लिए 'पिछड़े समुदाय' शब्द का प्रयोग किया जो आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। सन् 1947 में बिहार में 'पिछड़े वर्ग महासंघ' की स्थापना की गयी और बिहार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद के अध्ययन हेतु कुछ सुविधाओं की घोषणा की।[6]

राजनीति कोष (1971) पृष्ठ 24–25 में पिछड़े वर्गों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उस वर्ग से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक निर्योग्तायों के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में नीचे स्तर पर हों। यद्यपि संविधान में इस शब्द समूह का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। (अनुच्छेद 16(4) तथा 340 में) परन्तु इसकी परिभाषा कहीं नहीं की गयी।'' संविधान में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं, किन्तु अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की भांति उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई।[8]

प्रो0 आन्द्रे बिताई (2005) ने कृषि करने वाली जातियों को पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत सम्मिलित किया। पिछड़े वर्ग निश्चय ही उच्च जातियों से शिक्षा, व्यवसायों और सरकारी नौकरियों में पीछे रहे हैं।

पिछड़ापन समूह का लक्षण माना जाता है न कि व्यक्तियों का। अन्य जातियों की तरह पिछड़े वर्गों की सदस्यता भी अन्य के आधार पर निर्धारित होती है। सैद्धान्तिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने कुछ जातियों को पिछड़ी घोषित किया है। उन जातियों को कुछ लाभ और सुविधाएं इस घोषणा के तहत अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग समूहों एवं व्यक्तियों का एक वृहद जटिल पुंज है। पिछड़े वर्गों के निर्धारण के संबंध में यह धारणा है, कि इसका निर्धारण जन्म या जाति के आधार पर नहीं, वरन् उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिये।[7]

सन् 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शिक्षा संबंधी सुविधाएं देने की घोषणा की जिनमें राज्य की 56 जातियों को सम्मिलित किया गया और जिनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग था। सन् 1954 में देश के 15 राज्यों में पिछड़े वर्गों के लगभग 88 संगठन स्थापित हो चुके थे। इनमें से कुछ ने अपना नामकरण जाति के आधार पर किया और कुछ स्थानीय व क्षेत्रीय आधार पर कार्य कर रहे थे। सन् 1950 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर ''अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ'' की स्थापना की गयी। कई राज्य सरकारों ने भी पिछड़े वर्गों की सूचियाँ बनवाई। कर्नाटक राज्य की सूची में मुसलमान, ईसाई, जैन सभी गैर–ब्राह्मण जातियों को इसी सूची में सम्मिलित किया गया। महाराष्ट्र व तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण उच्च जातियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। सन् 1948–49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अनुपात के आधार पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आरक्षण देने की बात कही थी।[4]

भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है। संविधान की धारा 340 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि, वह एक आयोग की नियुक्ति कर देश के विभिन्न भागों में स्थित पिछड़ी वर्गों की स्थिति का जायजा ले। धारा 15(4) और 16 के अन्तर्गत राज्य सरकारें भी आयोगों की नियुक्ति करके पिछड़ी जातियों की आर्थिक एवं शैक्षणिक समस्याओं की जानकारी ले सकती हैं तथा ऐसे आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर सकती है। चूंकि 'पिछड़ेपन' की कसौटियाँ भिन्न–भिन्न राज्यों में भिन्न–2 हैं, इसलिए 'पिछड़ेपन' को आंकने का कोई अखिल भारतीय पैमाना नहीं है।[3]

भारत में उदीयमान नव मध्य वर्ग की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत में यह नव मध्य वर्ग एक बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की आधी से अधिक आबादी मध्य वर्ग की पायी जाती है,

जिसकी भूमिका राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से स्पष्टता परिलक्षित होती है। भारत में पायी जाने वाली प्रमुख जातियों में अन्य पिछड़े वर्गों की भूमिका में इन्हीं नव मध्य वर्ग की जातियों की ही भूमिका प्रमाणित होती है। भारत में यह मध्य वर्ग भी तीन स्तरों में विभाजित है उच्च मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग यह भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपभोग एवं जीवन स्तर के आधार पर विभाजन है। भारत में मध्य वर्ग की संख्या एवं उनकी सामाजिक भूमिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह नव मध्य वर्ग वैश्विक रूप से भारत की आर्थिक स्थिति को प्रबल रूप से सशक्त बनाने में सहयोगी रहा है।[1]

भारत में इन्हीं अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ प्रमुख जातियाँ जो अपने को सशक्त बनाकर प्रबल रूप से आगे बढ़कर इन पिछड़ी जातियों में उच्च स्थान प्राप्त कर रही है तथा इनकी प्रमुख भूमिका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से भारत को समृद्धि एवं सुसज्जित कर रही है। अन्बय पिछड़े वर्ग की जातियों में उत्पन्न इस नव मध्य को कई समूहों में बाँट सकते हैं जैसे–प्राफेशनल–मैनेजरियल वर्ग, इंजीनियर्स एवं टेक्नोलाजिस्ट वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, मीडिया और संचार विशेषज्ञ वर्ग, नौकरशाह वर्ग, सफेदपोश कामकाजी वर्ग, उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र वर्ग। परन्तु जबकि पुराने मध्य वर्ग में विशेषकर कुछ छोटे व्यावसायी वर्ग, दुकान रखने वाले, कान्ट्रैक्टर्स, मध्य वर्ग, आदि आते थे। इस प्रकार प्राचीन मध्य वर्ग एवं नवीन मध्य वर्ग में यह असमानता इनकी, प्रस्थिति और शक्ति के आधार पर पायी जाति थी। परन्तु उदीयमान नव मध्य वर्ग की दशाएँ इस प्रकार उनमें आर्थिक सामाजिक समुन्यन के लिए परिस्थितियों के अनुसार उत्तरदायी रही है। वैश्विक आर्थिक तंत्र के प्रबल होने के कारण भी आवश्यकता थी, की एक ऐसे वर्ग का उदय हो जो भारत में अधिक से अधिक जनसंख्या को वैश्विक अर्थतंत्र के साथ जोड़ सके। वर्तमान समय में वैश्विक रूप से भी मध्य वर्ग की भूमिका पूरे विश्व समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हुई है।

अध्ययन की प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोध अध्ययन में इस बात की महत्ता शामिल है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में एक मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में इनके विकास तथा निर्माण में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया। 1966–67 में आयी हरित क्रान्ति के फलस्वरूप इन मध्यम वर्ग में विकास प्रारम्भ हो गया, क्योंकि भूमि । सुधार के फलस्वरूप भारत में पायी जाने वाल अन्य पिछड़ी जातियां जो भू–स्वामित्व रखती थीं उन्हीं का विकास एवं प्रभुता बढ़ रही थी। क्योंकि वास्तविक लाभ इन्हीं मध्यम वर्गीय जाति विशेष को प्राप्त हुआ, जबकि मजदूर तथा दैनिक कर्मकारों को इसका विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाया फलतः वे निम्न होते ही गयी।

अन्य पिछड़ी जाति में विकसित यह मध्यम वर्ग धीरे–धीरे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करने लगा, ये क्षेत्रीय दलगत राजनीति में सहयोग करने के साथ–साथ धीरे–धीरे इनका नेतृत्व करने लगे, राजनैतिक क्षेत्र में इनका प्रभाव स्थापित होता गया। यह मध्यम वर्ग भारत में भिन्न–भिन्न राज्यों में प्रबल हो रहा था। क्योंकि यह वर्ग भारत में नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर रहा था तथा अत्यधिक जनसंख्या का समर्थन कर रहा था। राजनैतिक रूप से प्रबल होते इस मध्यम वर्ग का विकास अन्य पिछड़ी जातियों में तब स्पष्ट रूप से उद्घाटित होने लगा, जब 1979 के दशक में, गठित मण्डल आयोग की संस्तुति पर भारत में सरकारी सेवायों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया। (13 अगस्त 1990)।[5]

नियमानुसार आरक्षण की घोषणा के बाद अन्य पिछड़ी जाति में यह उदय होता नया मध्यम वर्ग तेजी से प्रसरित होने लगा, क्योंकि आरक्षण के फलस्वरूप इस नये मध्यम वर्ग ने आरक्षण का लाभ लेकर विभिन्न सरकारी संस्थानों, सिविल सेवायों, विश्वविद्यालयों आदि में उभर कर आने लगे। परन्तु क्योंकि आरक्षण अन्य पिछड़ी जाति की सभी जातियों के लिए था परन्तु शैक्षिक तथा कृषिगत रूप से सम्पन्न वर्ग ने हो इसका प्रमुखतः फायदा उठाकर उभरने लगे और वर्तमान समकालीन परिस्थितियों में इस मध्यम वर्ग का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश न केवल भारत का विस्तृत राज्य है, बल्कि विविधताओं एवं सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्त रूप में उदय एवं प्रभुत्व से युक्त प्रदेश है। इस अन्य पिछड़े वर्ग का उत्तर प्रदेश में आर्थिक,ग सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है।

इसीलिए उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों के उदीयमान होते नव मध्य वर्ग का अध्ययन प्रासंगिक होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. अन्य पिछड़े वर्ग में उदीयमान मध्यम वर्ग की सामाजिक प्रकृति, उसमें उपस्थिति विभिन्न उपवर्गों/तबको को जानना तथ उनका विश्लेषण करना।
2. इस मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि और राजनैतिक हैसियत का वर्णन एवं आकलन करना।
3. अन्य पिछड़े वर्ग के इस नये मध्य वर्ग में उदीयमान मूल्यों तथा सामाजिक राजनैतिक उन्मेषों को ज्ञात करना विश्लेषण करना।
4. अन्य पिछड़े वर्गों के इस नव मध्य वर्ग के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अभिव्यक्तियों एवं भूमिकाओं का आकलन करना।

अध्ययन की पद्धति एवं क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन उ0प्र0 के संदर्भ में है। चूंकि अध्ययन में पिछड़ी जातियों के मध्यवर्गीय इकाइयों को आकड़ों के संग्रहण के लिए चुना जाना है। इसलिए उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर का चयन ही उपयुक्त होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मुख्य रूप से एक मध्यवर्गीय नगर है। अतः यह न केवल उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर कहा जा सकता है बल्कि उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ग की प्रमुख स्थली भी माना जा सकता है। लखनऊ नगर में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। लखनऊ नगर में जनयंख्या की अधिकता तथा यहा पर अन्य शहरों में आने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, व्यवसायी वर्ग की भी जनसंख्या अधिक है। अतः इसालिए लखनऊ नगर का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहतर प्रतिनिधित्वपूर्ण है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पायी जाने वाली अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या लगभग 75 है। लेकिन प्रमुख अन्य पिछड़ी जातियाँ इस प्रकार हैं–अहीर, यादव, यदुवंशी, कुशवाहा, कश्यप, कहार, केवट (मल्लाह), कोइरी, कुर्मी, पटेल, पटनवार, गुज्जर, पाल, चौरसिया, साहू, बिन्द, लोधी, लोहार, लोनिया, सोनार, हलवाई, स्वर्णकार, मोची,जाट, कलवार आदि।

इन्हीं में मुख्यतः नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। इन्हीं विशेष जातियों में से ही कुछ परिवारों का चयन किया गया परिवारों के चयन में स्नोबाल (लिंक पद्धति) का प्रयोग किया गया। फिर उन्हीं परिवारों को प्रतिनिधित्वपूर्ण ईकाइयों (उत्तरदाताओं) के रूप में लेते हुए आकड़ों का संग्रहण किया गया। यह भी प्रयत्न किया गया कि अन्य पिछड़ी जातियों में से एक मध्य वर्ग परिवार का चयन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा गहनता पूर्वक अध्ययन किया, ताकि आकड़ों की वैधता और गहनता सुनिश्चित हो सके साथ ही कुछ द्वितीयक श्रोतों तथा उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में मौजूद रिपोर्ट से तथ्य एवं सूचनाएँ संकलित की गयी। सम्पूर्ण शोध प्रक्रिया में वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है जो वहां की कार्य दशा के लिए उपयुक्त है।

निष्कर्ष

भारत जैसे देश के लिए जहां परम्परा और संस्कृति का वृहद् जटिल पुंज मिलता है वह नव मध्य वर्ग दूरगामी दृष्टि से भारत के लिए शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भारत का प्रबल समर्थन करने एवं सहयोगी भूमिका के रूप में स्वयं को सिद्ध कर रही हैं तथा इनकी भूमिका निकट भविष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख जातियाँ शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर इस नव मध्य वर्ग में शामिल हो रही है इस प्रकार मध्य वर्ग की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जो कि भूविष्य में भारत के लिए कार्यकारी रूप में स्वयं को प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध होंगी। अन्य पिछड़े वर्गों की मुख्य जातियाँ जिनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास पिछले कुछ दशकों में अधिक हुआ है, ये जातियाँ स्वयं को राजनैतिक रूप से स्थापित करने का प्रबल प्रयास कर ही हैं

तथा नेतृत्वकारी भूमिका का सम्पादन करने की ओर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर जातीय भावनाएं प्रबल हैं इन्हीं अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख जातियाँ ही राजनैतिक रूप से सशक्त भी हुई हैं तथा राजनीति में सक्रिय हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए यह उभरता हुआ मध्य–वर्ग एक कुशल नेतृत्वकारी भूमिका के लिए स्वयं को प्रमाणित कर रहा है। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों में उदीयमान नव–मध्य वर्ग की भूमिका का विश्लेषण यथोचित सिद्ध हुआ है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. *Ahmed, I. and H. reifield, eds, 2001, middle class values in India and wetern Europe, New Delhi: Social Science Press.*
2. *Ahmed, I. and H. reifield, eds, 2001, 'The social structure of the Indian middle class', New Delhi : Social Science Press. P-73-85.*
3. *Ahuja, Ram. 1993. Indian Social System, Jaipur : Rawat publications.*
4. *Report of the backward classes commission (Chairman : B.P. Mandal), Delhi : Govt. of India.*
5. *Roy Berman, B.K. 1990. "Mandal Commission Report and Right to Information", Mainstream.*
6. *Verma, H.S. (Ed.) 2005. The OBCs and the Ruling classes in India, Jaipur and New Delhi : Rawat Publication.*
7. गुप्ता, मोतीलाल. 1997. भारत में समाज जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकादमी.
8. कश्यप, सुभाष एवं विश्व प्रकाश गुप्ता. 1971. राजनीतिक कोश, दिल्लीः राजकमल प्रकाशन.
9. लक्ष्मीकान्त, एम0. 2012. भारत की राजव्यवस्था, नयी दिल्लीः टाटा मैग्राहिल प्रकाशन.
10. कुछ अन्य पिछड़ी जातियों का साक्षात्कार.
11. योजना अंक जून 2012.
12. कुरूक्षेत्र अंक जून 2013.

Copyright © 2015, Sunil Kumar Singh. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.